संख्या– 405 /XXVII(1)/2009

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
द्वाराहाट, देवप्रयाग, मुनिकीरेती,
केलाखेड़ा तथा महुआखेड़ागंज,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून::दिनांक: 03 जून मई,2009

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पंचायतों को चतुर्थ त्रैमासिक किश्त की अवशेष धनराशि का वित्तीय वर्ष 2009–10 में संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–48/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उक्त शासनादेश के संलग्नानुसार समस्त नगर पंचायतों को राज्य की वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी से मार्च) हेतु **रू0 17166931.00 (रू0 एक करोड़ इकहत्तर लाख छियासठ हजार नौ सौ इक्तीस मात्र)** अवमुक्त की गई थी। 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 में अवमुक्त धनराशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र ना मिलने के कारण उनको देय समनुदेशन से समायोजित किया गया था।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने के कारण रोकी गई **धनराशि रू0 4064748.00 (रू0 चालीस लाख चौसठ हजार सात सौ अड़तालीस मात्र)** संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3–अवमुक्त की जा रही धनराशि शासनादेश सं0–48/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 में उल्लिखित शर्तो के अधीन ही व्यय की जायेगी।

4–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगरपंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त

संख्याः–405 (1)/XXVII(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7– मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10–एन0 आई0सी0,सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

2/6/2009
(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त

शासनादेश संख्याः 405 /XXVII (i)/2009
दिनांकः 03 मई,2009 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पंचायत परिषदों को चतुर्थ त्रैमास से रोकी गई धनराशि का संकमण।

(धनराशि रू0 में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2008–09 हेतु चतुर्थ किश्त हेतु देय संकमण	अवमुक्त धनराशि	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1–नगर पंचायत				
1-	द्वाराहाट	1551000	800314	750686
2-	देवप्रयाग	832000	356708	475292
3-	मुनिकी रेती	1583000	769928	813072
4-	केलाखेड़ा	1297000	761383	535617
5-	महुआखेड़ागंज	739000	318569	420431
6-	हरर्बटपुर	2163000	1093350	1069650
		8165000	**4100252**	**4064748**

(रू0 चालीस लाख चौसठ हजार सात सौ अड़तालीस मात्र)

(एम0 एम0 पन्त) 2/6/2009
सचिव, वित्त